न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

दावान बाबूलाल बनाम लवली सिंह वगैरा

मुकदमा नं. डिक्री दिनांक 19/11/25

19/11/25	पत्रावली पेश है। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी के पत्रावली अभिवृद्धि पर लेकर पर पत्रावली डाक को आगे नहीं चलाकर खारिज करने का निवेदन किया। वकील वादी को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी के निवेदन पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली रेकर्ड रूम में रखे। तकमील जाबिता	गवाह आगे चलाना नहीं चाहते। लवली

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.26 11:22:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner